ICSSR Sponsored
ISSN: 2319-9997

Journal of Nehru Gram Bharati University, 2025; Vol. 14 (I):212-216

विकसित भारत 2047 : कौशल केन्द्रों की भूमिका

विजय कुमार चंचल एवं शैलेन्द्र कुमार सिंह

अर्थशास्त्र विभाग,

नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), प्रयागराज, उ0प्र0

Email: chanchal.sraj@gmail.com

Received: 22.12.2024 Revised:02.03.2025 Accepted: 13.04.2025

सारांश

वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार यदि भारत के जनांकिकीय लाभांश का उचित व कुशलतम मार्गदर्शन किया जाए तो भारत को विकासशील अवस्था से विकसित अवस्था में बदलने हेतु सहायक हो सकता है। भारत के वैश्विक मानक की बात करें तो इसके युवा जनसंख्या के आंकड़े सबसे अधिकता को दर्शाते हैं जो कि औसत आयु के लगभग 28 वर्ष से 29 वर्ष के आस-पास है। यदि इसे जनसंख्या के परिवर्तन के साथ सम्मिलित रूप में रखें तो यह एक प्रकार से जनसांख्यिकीय विशेषताओं के विशेष प्रकार की अवस्था से गुजर रहा है। जहाँ पर आश्रितों की जनसंख्या, काम करने वालों की जनसंख्या से कम प्रदर्शित हो रही है इससे और भी स्पष्ट हो जाता है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में जनसंख्या का यह विशेष चरण अत्यधिक लाभांवित कर सकता है।

राष्ट्र को विकसित अवस्था की ओर ले जाने हेतु भारत सरकार द्वारा इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके लिए एक विशेष मंत्रालय जो कि कौशल से सम्बन्धित कार्यों हेतु समर्पित है। जिसे ''कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय'' के नाम से जाना जाता है कि भूमिका इस जनांकिकीय लाभांश को कौशल युक्त बनाकर देश को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने में विशेष योगदान दे रहा है। इस हेतु मंत्रालय द्वारा विशेष प्रकार की केन्द्रीय कौशल योजनाओं हेतु कौशल नीति का निर्माण भी किया जा चुका है। साथ ही साथ जिस प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का मुख्य योगदान भारत को विकसित बनाने हेतु किया जा रहा है उनमें शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आदि का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया जा रहा है।

मुख्य शब्द- *विकासशील, विकसित, जनांकिकीय लाभांश, कौशल नीति, रिपोर्ट, कार्यशील जनसंख्या, प्रशिक्षण, मानव संसाधन, मानक व्यक्ति वर्ष, उद्यमशीलता, पंचवर्षीय योजना, पाठ्यक्रम।*

जनांकिकीय लाभांश :

विश्व स्तर पर भारत की जनसंख्या वर्ष 2023 तक चीन देश को पीछे छोड़कर सबसे अधिक हो जायेगी इस हेतु एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई है। जिसका प्रकाशन आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अन्तर्गत जनसंख्या प्रखण्ड द्वारा 'वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022' नाम से किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र के अधीन कार्य करता है। चीन के द्वारा जनसंख्या वृद्धि को स्वयं के द्वारा कठोर नियम एवं कानून के तहत इस पर लगभग नियंत्रित कर लिया गया है। जबकि भारत जैसे विकासशील देशों की स्थिति में पहले की जनसंख्या वृद्धि की अपेक्षा काफी सीमा तक सुधार हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की ही एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में सबसे अधिक युवा आबादी रहती है जो 35 करोड़ के आस-पास है यदि इसे प्रतिशत के रूप में उल्लेखित करें तो लगभग 65 प्रतिशत के आस-पास होगी।

जनांकिकीय लाभांश को जनसंख्या के कार्यशील जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में भी उल्लेख किया जाता है कि सम्पूर्ण जनसंख्या में से जनसंख्या का ऐसा भाग जो कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत को प्रमाणित करता है। इसी कार्यशील जनसंख्या को विभिन्न विद्वानों द्वारा अपने मत प्रदान किये जिसमें से आशिल गुइलार्ड के अनुसार ''यह (जनांकिकीय) जनसंख्या की सामान्य गति और भौतिक, सामाजिक तथा बौद्धिक दशाओं का गणितीय ज्ञान है।'' इसी कार्यशील या कामगार जनसंख्या हेतु संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट भी दर्शाती है कि भारत इस कामगार जनसंख्या (अर्थात् 25 वर्ष एवं 64 वर्ष के मध्य) में निरंतर वृद्धि की ओर बढ़ता रहेगा जो कि वर्ष 2050 तक अपने अधिकतम अवस्था के अंतराल के बाद कमी की ओर अग्रसर होगा। इस हेतु भारत पहले से ही अपने यहाँ अनेक नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से और जनांकिकीय लाभांश को उचित प्रबन्धन के द्वारा अधिक से अधिक प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर सृजित करने में लगा हुआ है।

कौशल नीति :

राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2015 में 15 जुलाई को विशेष प्रकार की कौशल नीति जारी की गई जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति-2015 के रूप में जाना जाता है। इसी नीति के माध्यम से कौशल कार्य नीति को सुचारू रूप से एवं व्यवस्थित ढंग से संचालन पर जोर दिया जायेगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को कौशल से सम्बन्धित गतिविधियों का लाभ मिल सके। यदि इस नीति के दृष्टिकोण पर प्रकाश करें तो इसमें सतत् आजीविका का विकास हो, धन व रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित हो, उचित मानकों के द्वारा बड़े पैमाने पर उद्यमिता का निर्माण करना और देश के सभी नागरिकों हेतु कौशल की नई व्यवस्था को उपलब्ध कराना आदि। इस नीति के क्रियान्वयन के दौरान महिलाओं को विशेष प्रकार की सुविधा का प्रावधान भी किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

इसके अलावा इस नीति के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण की कमी को जल्द से निर्धारित समयावधि के दौरान इसके लक्षित परिणामों तक पहुँच हो सके, जिससे इसके वर्तमान परिदृश्य में मौजूद विशेष प्रकार के कौशल अंतराल को पूरा किया जा सके। भविष्य की आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार के कौशलों की माँग और आपूर्ति में अंतराल को भी दूर किया जा सके जो कि अनेक रिपोर्टों के माध्यम से प्रमाणित हो गया है कि भविष्य में अधिक से अधिक कौशल से युक्त मानव शक्ति की आवश्यकता होगी। यदि इस नीति के मिशन का उल्लेख करे तो इससे भी विशेष प्रकार के कौशलों की स्थिति का पता चलता है-

- ❖ पूरे देश में कौशल विकास की माँग सृजित करना,
- ❖ आवश्यक दक्षताओं के साथ कौशल को सही और संरेखित करना,
- ❖ कुशल मानव संसाधनो की आपूर्ति को क्षेत्रीय माँगों से जोड़ना,
- ❖ वैश्विक और राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रमाणित करना और आकलन करना,
- ❖ एक ऐसे इकोसिस्टम को उत्प्रेरित करना जहाँ उत्पादक और अभिनव उद्यमशीलता सृजित होती है, एक अधिक गतिशील उद्यमशील अर्थव्यवस्था और अधिक औपचारिक वेतन, रोजगार के निर्माण के लिए अग्रणी होती है।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय :

यदि कौशल युक्त मानव संसाधन की बात करें तो योजना आयोग (वर्तमान में नीति आयोग) की छठवीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1980 से वर्ष 1985 तक) में मानक व्यक्ति वर्ष का वर्णन मिलता है जो कौशल से अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित रहा। इस मानक व्यक्ति वर्ष के अंतर्गत रोजगार मापन पर बल दिया गया जिसमें यदि कोई भी व्यक्ति 08 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 173 दिन तक रोजगार में लगा है तो उसे मानक व्यक्ति वर्ष कहेंगे। आगे की पंचवर्षीय योजनाओं में आठवीं पंचवर्षीय योजना जिसकी समयावधि वर्ष 1992 से 1997 तक रही के अन्तर्गत मानव को केवल मानव ही नहीं बल्कि इसे एक संसाधन के रूप में परिभाषित किया गया।

वर्तमान परिस्थितियों में कौशल विस्तार हेतु भारत सरकार द्वारा जिस मंत्रालय का संचालन किया जा रहा है वह ''कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय'' के नाम से जाना जाता है। यदि इसके स्थापना का वर्णन करें तो कौशल विकास विभाग को युवा कार्यक्रम और वित्त मंत्रालय के अंतर्गत 31 जुलाई 2014 को अधिसूचित किया गया था जिसे बाद में 09 नवम्बर 2014 में ''कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय'' के रूप में अधिसूचित किया गया। इसी तारीख को ध्यान में रखकर प्रत्येक वर्ष भारत में 09 नवम्बर को ''राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस'' मनाया जाता है। जबकि विश्व स्तर पर ''विश्व युवा कौशल दिवस'' प्रत्येक वर्ष जुलाई माह की 15 तारीख को मनाया जाता है। इसी मंत्रालय के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से वर्तमान परिदृश्य में कौशल से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के कौशल केन्द्रों

का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से कौशल केन्द्रों से सम्बन्धित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है।

शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम :

भारत सरकार द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) को वर्ष 1950 में विभिन्न राज्यो एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में प्रारम्भिक रूप से शुरू किया गया, जिससे आगामी वर्षों में मानव संसाधन को कौशल प्रदान करके औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में कौशल सम्पन्न मानव शक्ति की पूर्ति करना। इसमें प्रशिक्षण में अधिक से अधिक मात्रात्मक व गुणात्मक रूप में बल देना, तकनीकी प्रशिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षणों को युवाओं हेतु अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना, शिक्षा व प्रशिक्षण से युक्त युवाओं को कौशल के माध्यम से बेरोजगारी में कमी करने का प्रयास करना आदि से सम्बन्धित विशेष प्रकार के पाठ्यक्रमों को जारी किया गया। प्रारम्भिक वर्षों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या लगभग 50 के आस पास रही जबकि केरल, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षित संस्थानों की स्थापना निजी रूप में की गई। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की रिपोर्ट अनुसार देश में 14956 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान वर्ष 2022-23 में थे जिसमें लगभग 11708 संस्थान निजी क्षेत्रों में स्थापित हैं एवं 3248 संस्थान सरकारी रूप में स्थापित किये गये हैं। यदि इन संस्थानों के पाठ्यक्रम की चर्चा करें तो इनमें एक वर्षीय और दो वर्षीय अवधि के पाठ्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसी वर्ष 2022 में कुल अनुमानित सीटों की संख्या 26.03 लाख के आस-पास एक वर्षीय और दो वर्षीय पाठ्यक्रम के रूप में संचालित की जा रही है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना :

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा संचालित यह योजना प्रमुख योजनाओं में से एक अहम् योजना के रूप में जानी जाती है इस योजना को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके क्रियान्वयन वर्ष 2015 के दौरान ही इसे प्रथम चरण में लागू किया गया जिसके उद्देश्य में देश के युवा वर्ग को अल्पावधि प्रशिक्षण के साथ-साथ नकद पुरस्कार को भी समाहित किया गया। यदि इसके प्रथम चरण को विस्तारित वर्णन करने का प्रयास करें तो इस दौरान राज्य घटक को इसमें समाहित नहीं किया गया था इसे केन्द्रीय स्तर पर ही क्रियान्वित किया गया। इसके अन्य बाद के चरणों में राज्य घटक को भी केन्द्रीय घटक के साथ शामिल कर लिया गया, जिससे इसके आगामी परिणामों में अधिक से अधिक सकारात्मक वृद्धि मिल सके एवं युवाओं को इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ भी मिल सके।

पी0एम0के0वी0वाई0 योजना के उपलब्धियों का वर्णन करें तो अब तक सम्पन्न हुए इसके तीनों चरणों में कुल अल्प अवधि प्रशिक्षण, पूर्व शिक्षण मान्यता एवं विशेष परियोजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित व प्रमाणित युवाओं की लगभग संख्या 31 दिसम्बर 2022 तक कुल

प्रशिक्षित रूप में 1,37,24,196 और कुल प्रमाणित रूप में 1,10,89,025 रही।

निष्कर्ष :

विकासशील देशों की श्रेणी के अन्तर्गत भारत देश भी स्वयं में मजबूत श्रेणी में बनाये हुए है इस कारण इसकी जनसंख्या के एक ऐसे आयु वर्ग की विशेषता जिसमें जनांकिकीय लाभांश की सीमा काफी विस्तृत रूप में विकसित हो चुकी है। जिसका सकारात्मक परिणाम राष्ट्र को अधिक से अधिक लाभांवित कर सकता है। इसका दूसरा पहलू यदि व्यक्ति कौशल से युक्त होगा तो यह भी अपनी उत्पादकता को बढ़ाकर स्वयं का विकास कर सकता है जिसका अप्रत्यक्ष प्रभाव राष्ट्र को भी प्राप्त होता रहता है। प्रदेश की जीडीपी में वृद्धि तो प्रत्यक्ष रूप से दिखायी देती है जबकि देश की जीडीपी में वृद्धि भी अप्रत्यक्ष रूप से होती रहती है। इस प्रकार से किसी भी देश की बढ़ती जनसंख्या को एक मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित करके उसे सही दिशा देकर देश के सकारात्मक परिवर्तनों में हिस्सेदार बनाया जा सकता है। जिस हेतु भारत सरकार का प्रयास वर्तमान परिदृश्य में काफी सराहनीय कहा जा सकता है। क्योंकि उपरोक्त योजनाओं/कार्यक्रमों के उल्लेखित कौशल से सम्बन्धित आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारतीय अर्थशास्त्र का विकास कक्षा-11 के लिए पाठ्य पुस्तक, एन0सी0ई0आर0टी0-2006
2. डॉ0 श्याम सुंदर सिंह चौहान
   2023 में भारत की जनसंख्या चीन से अधिक होगी
   प्रतियोगिता दर्पण, सितम्बर-2022
3. सुधीर कुमार, जनसंख्या नियंत्रण से ही आएगी खुशहाली
   प्रतियोगिता दर्पण, अक्टूबर-2022
4. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट : 2020-23
5. पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार
   https://pib.gov.in
6. डॉ0 आर0 एस0 सेंगर, आत्मनिर्भर भारत के लिए कौशल विकास की उपयोगिता एवं चुनौतियां प्रतियोगिता दर्पण, मई-2023

Disclaimer/Publisher's Note:
The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of JNGBU and/or the editor(s). JNGBU and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.